ग्राम पंचायत गोरड़ा, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024

भाग-एक

1. **प्रस्तावना**

{क} ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनाँक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत गोरड़ा, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" तक के लेखों का अंकेक्षण हि.प्र राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति सुनीता रानी	01-04-22 से 31-03-24

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति भागु देवी	01-04-22 से 10-09-23
2.	श्री बनबीर सिंह	11-09-23 से 31-03-24

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत गोरड़ा के अवधि "01-04-2022 से 31-03-2024" के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि {₹ लाखों में}
1.	5	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	21.73
2.	6	प्रियासॉफ्ट में संधारित लेखों तथा हस्तलिखित लेखों के आंकड़ों में बहुत ज्यादा अंतर पाया जाना	`0.68
3.	7	गृह कर की नियमित उगाही न करने के कारण पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष पाया जाना	`0.71
4.	9	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.06
5.	11	खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से नियमानुसार रॉयल्टी की कटौती सुनिश्चित न करने के फलस्वरूप राजकीय राजस्व की सम्भावित हानि	1.73
6.	12	क्रय किये गये सामान का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न करना	01.36
7.	14	विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु क्रय सामग्री के समुचित लेखाकंन के अभाव में अपेक्षाकृत अधिक/अनियमित भुगतान करना	0.06

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत गोरड़ा, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/2022 से 31/03 /2024" तक के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री अजय कुमार, कनिष्ठ

लेखा परीक्षक द्वारा दिनाँक 02-07-2024 से दिनांक 09-07-2024 के दौरान पंचायत कार्यालय, गोरड़ा में किया गया। लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022-23	03/23	05/22
2023-24	09/23	07/23

अस्वीकरण (Disclaimer) :- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के सचिव/प्रधान द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. **अंकेक्षण शुल्क**:-

ग्राम पंचायत गोरड़ा, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर **₹5,600**/- बनता है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 326 दिनांक 09.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत गोरड़ा से अनुरोध किया गया।

4. **वित्तीय स्थिति**:-

ग्राम पंचायत गोरड़ा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{क} स्वः स्त्रोतः- ग्राम पंचायत गोरड़ा के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" तक स्व: स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022-23	183066.00	107340.00	290406.00	48025.00	242381.00
2023-24	242381.00	21730.00	264111.00	92263.00	171848.00

{ख} अनुदानः- ग्राम पंचायत गोरड़ा के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण सलग्न **परिशिष्ट -1** में दिया गया है:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022-23	1700010.32	6379743.00	8079753.32	5455687.00	2624066.32
2023-24	2624066.32	7173088.00	9797154.32	7624393.00	2172761.32

{ग} दिनांक 31.03.24 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम संख्या	शीर्ष	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि
1.	General/5TH FC	KCCB SHAPHUR	20088008599	138019.00
2.	SDP/SDRF/VMJS/PS	KCCB SHAPHUR	50055551984	617980.00
3.	14TH FC	KCCB SHAPHUR	50055551768	25.32
4.	TSC	KCCB SHAPHUR	50055551906	0.00
5.	15TH FC	CANARA BANK SHAHPUR	6616101001120	815377.00
6.	CSC	CANARA	6616101001049	0.00

		BANK SHAHPUR		
7.	SK RELIEF	KCCB SHAPHUR	50076838259	80000.00
8.	VMJS	KCCB SHAPHUR	50076838124	171297.00
9.	VKVNY	KCCB SHAPHUR	50076838226	521492.00
7.	हस्तगत रोकड़			419.00
कुल योग				**2344609.32**

4.1 बैंक समाधान विवरणी:-

दिनांक 31-03-24 को बैंक अनुसार अन्त शेष	**2344609.32**
दिनांक 31-03-24 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्त शेष (क+ख)	**2344609.32**
अंतर	**0.00**

4.2 निर्देशानुसार अलग – 2 स्कीमों के लिए अलग – 2 बैंक खाते न खोलना :-

निदेशक पंचायती राज के पत्र संख्या PCH-HA(5)C(15)-13(L)5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 में दिए गए निर्देशों के अनुसार अलग – 2 स्कीमों के लिये अलग – 2 खाते खोले जाने अपेक्षित हैं |

पंचायत द्वारा खाता "क", "ख" के अंतर्गत General/5th FC व SDP/SDRF/VMJS/PS आदि स्कीमों के लिए हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 4(1) के प्रावधान का उल्लंघन करते हुये एवं पूर्वोक्त पत्रांक में दिए गए निर्देशों के विरुद्ध General/5th FC स्कीमों के लिए एक ही बैंक खाता, कांगड़ा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक शाहपुर में खाता संख्या 20088008599 व SDP/SDRF/VMJS/PS स्कीमों के लिए एक ही बैंक खाता, कांगड़ा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक शाहपुर में खाता संख्या 50055551984 के अंतर्गत खोला गया था जिससे न केवल निदेशक पंचायती राज के निर्देशों की अवेहलना हुई अपितु खातावार/स्कीमवार

प्राप्त अनुदान, ब्याज व भुगतान /व्यय आदि की सत्यता की अंकेक्षण में समुचित पुष्टि नहीं की जा सकी।

अत: इस अनियमितता का वस्तुस्थिति अनुसार तथ्यपूर्ण कारण स्पष्ट करते हुए नियमानुसार तुरंत प्रभाव से निदेशक पंचायती राज के उक्त पत्र में वर्णित निर्देशों के अनुपालनार्थ सुधारात्मक कार्यवाही अम्ल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए।

4.3 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified Abstract) को न तैयार करने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुये एक आय तथा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग-अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय-व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय-व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

4.4 लेखा खाता /खाताबही तैयार न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता / खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस – किस कार्य हेतु कितनी – कितनी राशि प्राप्त हुई है व किस – किस कार्य पर कितना –

कितना व्यय हुआ है , तथा इन कार्यों को पूरा किया जा चूका है अथवा नहीं | जिसमें से कुछ दृष्टांत मामलों का विवरणनिम्नानुसार है :-

अनुदान/शीर्ष	वाउचर संख्या /दिनांक	कार्य का नाम	राशि
15TH FC	P15/04.11.2023	निर्माण रास्ता तारा सिंह हाउस से देश राज	9234
15TH FC	P16/04.11.2023	Repair ShamshanGhatKamali Village	10494
15TH FC	P10/07.11.2023	Drainage for transpiration of waste water from a group of vill. To a common treatment unit	14691

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 324(6) दिनांक 09.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत गोरड़ा से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या पत्र संख्या GP GORDA NO. 11 दिनांक 09.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा |

अत: अंकेक्षण अवधि 2022-23 व 2023-24 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किए जाने सुनिश्चित किए जाए व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

5. अनुदान राशि ₹21.73 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधानऔरभत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है |

पंचायत द्वारा अनुदानों से सबंधित उपलब्ध करवाई गई सूचना **"परिशिष्ट-1"** के अनुसार दिनांक 31-03-24 तक अनुदान राशि **₹2172761.32** लाख उपयोग हेतु

ANNUAL REPORT

शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्ष के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है |

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 324(1) दिनांक 09.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत गोरड़ा से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GP GORDA NO. 11 दिनांक 09.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: शेष अनुदानों के सम्बन्ध में पूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए उक्त राशि को निर्धारित उददेश्यों हेतू नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जाये |

6. प्रियासॉफ्ट में संधारित लेखों तथा हस्तलिखित लेखों के आंकड़ों में ₹0.68 लाख का बहुत ज्यादा अंतर पाया जाना :-

ANNUAL REPORT

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में E- Panchayat Mission Project (MPP) प्रारम्भ की गई है, जिसका क्रियान्वन पंचायती राज बिभाग हि. प्र. कर रहा है | इस योजना के क्रियान्वयन के साथ – साथ हि. प्र. पंचायती राज (समान्य) नियम 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागजरहित प्रणाली के अंतर्गत e-panchayt में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है |

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण हस्तलिखित तथा प्रिया सॉफ्ट (computerised) दोनों माध्यम से किया जा रहा तथा जो लेखे Priya Soft में बनाये जा रहें थे, वे बैंक खातों/हस्तलिखित रोकड़ बही खातों से मिलान नहीं खाते| परिणामस्वरूप राशि ₹68376.32 का अंतर पाया गया, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत के लेखे सच्ची व सही स्थिति नहीं दर्शाते है, जिसके चलते किसी भी स्तर पर हेर- फेर अथवा गड़बड़ी की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

(क) प्रियासॉफ्ट में दर्ज वार्षिक प्राप्ति /व्यय व हस्त लिखित रोकड़ बही के अनुसार वार्षिक प्राप्ति /व्यय में अंतर (Except MNREGA)

क्रम स.	वर्ष	प्राप्ति (₹)			भुगतान (₹)		
		प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर	प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर
1	2022-23	4321991.00	4284821.00	37170.00	3522200.32	3301450.00	220750.32
2	2023-24	5851471.00	5639218.00	212253.00	6531979.00	6161056.00	370923.00

(ख) प्रियासॉफ्ट रोकड़ बही में दर्शाए गए बैंक शेष तथा बैंक पास बुक शेष में अंतर पाया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है:- (Except MNREGA)

वर्ष	प्रियासॉफ्ट के अनुसार बैंक शेष	बैंक पासबुक के अनुसार शेष + (CASH IN HAND)	अंतर
2023-24	2275814.00 +419 (Cash in Hand) = 2276233.00	2344609.32	68376.32

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 324(7) दिनांक 09.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तिय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GP GORDA NO. 11 दिनांक 09.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा ।

अतः अन्तर के कारणों बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

ANNUAL REPORT

7. गृह कर की नियमित उगाही न करने के कारण `0.71 लाख का पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष पाया जाना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 34(2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अपने अधीनस्थ सभी स्त्रोतों जहां से राजस्व उत्पन्न होता है, इतनी रकम का, जितनी बैंक, खजाना या अन्य लेखा-जोखा दिया है के लिए उधार दावा करते हुए, मासिक लेखे और विवरणी, अभिप्राप्त करने की व्यवस्था करेगा और उन्हें प्रारूप 10 में मांग रजिस्टर में नोट करवाएगा।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों के अंकेक्षण पर पाया गया कि गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख अर्थात गृह कर के मांग व संग्रहण रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया था। पंचायत द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान ₹100 प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि ₹71400 के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.24 को शेष थी, जिसका विवरण परिशिष्ट "ख" व नीचे तालिका में दिया गया है:-

सम्पति कर:-

वर्ष	पंजीकृत परिवारों की संख्या	दर	आ. शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2022-23	618	100	0	61800	61800	52200	9600
2023-24	618	100	9600	61800	71400	0	71400

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व/गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी। मांग व वसूली रजिस्टर का साधारण प्रारूप -10 पर नहीं करने के फलस्वरूप लम्बित गृह कर तथा वसूली का सही पता नहीं लगाया जा सकता एवं

पंचायत राजस्व में रिसन (leakage) की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख का संधारण न करना तथा गृह कर नियमित रूप से वसूल न करना इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं कर की नियमित उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है, जो कि न केवल उपरोक्त नियमों की अवहेलना है, अपितु यदि पंचायत राजस्व बकाया राशि इसी तरह बढ़ती रही तो किसी समय पर इसे वसूल कर पाना असम्भव हो जायेगा।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 324(2) दिनांक 09.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तिय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GP GORDA NO. 11 दिनांक 09.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा ।

अतः पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा, स्पष्ट करते हुये लम्बित करों एवं बकाया राजस्व की शीघ्र नियमित/पूर्ण वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

8. विवाह पंजीकरण शुल्क ₹1200 की प्राप्त न करने बारे

ANNUAL REPORT

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या – SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अनुसार विवाह के पंजीकरण हेतु ₹200 (सामान्य श्रेणी) व आई . आर. डी. पी./बी.पीएल.श्रेणी के लिए ₹25 पंजीकरण शुल्क व 30 दिनों के बाद 90 दिनों के भीतर ₹400 (सामान्य)से व 50 आई . आर. डी. पी./बी.पीएल से प्रति विवाह पंजीकरण शुल्क प्राप्त करके सरकारी कोष में जमा करवाना अनिवार्य है ।

अंकेक्षण के दौरान विवाह पंजीकरण रजिस्टर के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विवाह आवेदकों का पंजीकरण किया गया था। परन्तु उक्त अधिसूचना के अनुसार निम्नलिखित आवेदकों से विवाह पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति नहीं की गई थी जिसका विवरण निम्नानुसार से है:-

क्रम संख्या	आवेदक का नाम	विवाह की तिथि	रजिस्ट्रेशन की तिथि	प्राप्त योग्य राशि
1.	श्री राम लाल पुत्र श्री लाभ सिंह	16.07.2022	Not Mentioned	400
2.	श्री अंकुश सिंह पुत्र श्री तीता राम	06.02.2024	10.03.2024	400
3.	श्री प्रीतम चंद पुत्र श्री सुखु राम	09.03.2023	24.03.2023	200
कुल योग				**1000/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 324(5) दिनांक 09.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तिय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GP GORDA NO. 11 दिनांक 09.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क प्राप्त करने उपरांत, प्राप्त की गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये एवं तदानुसार कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि ₹0.06 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे:-

ANNUAL REPORT

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या – SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अंतर्गत विवाह

पंजीकरण शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त करने उपरांत विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0235-00-800-03" में जमा करवाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान निम्नलिखित विवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि
1	2022-23	5000
2	2023-24	1025
कुल योग		**6025/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 324(4) दिनांक 09.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GP GORDA NO. 11 दिनांक 09.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा ।

अत: विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा अंकेक्षण को दिए गये आश्वाशन के दृष्टिगत उपरोक्त नियमानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

ANNUAL REPORT

10 दोहरी उपस्थिति के कारण अनियमित भुगतान करने बारे :-

निदेशक पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश के कार्यालय पत्र संख्या पी. सी. एच .(1) 5/2009-II-Instructions-67441-532 दिनांक 05.11.2019 अनुसार यदि पंचायत सदस्य द्वारा एक ही दिनांक को दो जगह हाजरी लगाने का प्रकरण सामने

आता है तो ऐसे में वार्ड सदस्य के विरुद्ध धनराशी की वसूली सहित निलबंन तथा पद से हटाने की कार्यवाही की जा सकती है |

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत सदस्य द्वारा ग्राम पंचायत वैठक व मनरेगा मस्ट्रोल में एक ही दिन दोहरी हाजरी का लाभ अर्जित किया गया था जोकि उक्त पत्र के दिशा निर्देशों की स्पष्ट उलंघना है | उपरोक्त अनियमिता का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	मस्ट्रोल संख्या/अवधि	निर्माण कार्य का नाम	मस्ट्रोल / पंचायत बैठक/ ग्राम सभा में उपस्थिति की तिथि	मानदेय के रूप में भुगतान की गई राशि(₹)	मनरेगा की मजदूरी दर के रूप में भुगतान की गई राशि (₹)	टिपण्णी (Remarks)
1	प्रियंका	..... 283...... 05.04.2023 से 15.04.2023	निर्माण कुहल अरुणा के घर के पास वार्ड न० 6	10.04.2023	---	212	निर्वाचित सदस्य श्रीमती प्रियंका देवी की उपस्थिति दिनांक 10.04.2023 को सामान दिन में ग्राम सभा व मनरेगा मस्ट्रोल में पाई गई
2	मोनिका देवी	..... 6907...... 16.01.2024 से31.01.2024	ग्रामीण सम्पर्कता निर्माणअपवर्धन/मुरम्मत sc वस्ती इंटरलॉक इत्यादि वार्ड न० 5	19.01.2024	500	160	

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 324(3) दिनांक 09.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तिय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GP GORDA NO. 11 दिनांक 09.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा ।

अतः परामर्श दिया जाता है की उपरोक्त पत्र के निर्देशों की अनुपालना करना सुनिश्चित किया जाये व उपरोक्त अनियमित भुगतान की वसूली वस्तुस्थिति अनुसार यथोचित दर से करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11. खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती सुनिश्चित न करने के फलस्वरूप राशि ₹1.73 लाख के राजकीय राजस्व की सम्भावित हानिः-

ANNUAL REPORT

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम '81' व '81ए' के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान रेत, बजरी, पत्थर आदि की खरीद की गई थी परन्तु आपूर्तिकर्ता के खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के सम्बन्ध में उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को निम्न विवरणानुसार `**172645/-** का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है :-

नाम	**मात्रा (cum)**	**फैक्टर**	**कुल मात्रा**	**दर (प्रति टन)**	**राशि**
रेत	154.00	1.62	249.48	80	19958
बजरी	274.14	1.52	416.69	80	33335
पत्थर	50.27	2.24	112.60	80	9008
रेत	119.22	1.62	193.14	80	15451
बजरी	224.29	1.52	340.92	80	27274
पत्थर	184.65	2.24	413.62	80	33090
कुल योग					**138116**
पेनल्टी 25%					**34529**
कुल योग					**172645/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 325(1) दिनांक 09.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GP GORDA NO. 11 दिनांक 09.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण **रॉयल्टी** की गणना नहीं की जा सकी, प्रस्तुत उतर नियमों के विरुद्ध होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः **₹172645/-** के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा किसी संशय की स्थिति में इस मामले को सम्बन्धित विभाग से उठाते हुये तदानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हि. प्र. सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853-Non ferrous mining and Metallurgical Industries,102- Mineral Concession fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माह के भुगतानों को रॉयल्टी के लिए जांचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की जांच अपने स्तर पर करके वस्तुस्थिति, नियमानुसार देय रॉयल्टी की वसूली करना सुनिश्चित करें।

12. क्रय किये गये सामान राशि ₹01.36 लाख का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होना :-

ANNUAL REPORT

हि०प्र० पंचायतीराज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 72(1) (ए.बी.सी.डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गये सामान का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25, 26, 27, व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के दौरान की गई खरीद के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार पंचायत द्वारा

₹136105/- के स्टॉक को क्रय उपरांत स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज नहीं किया गया था, लेखांकन प्रक्रिया में इस प्रकार की त्रुटियों के चलते किसी भी स्तर पर धन, सामग्री के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है :-

क्रम संख्या	बिल/वा० संख्या, वर्ष/माह	भुगतान की तिथि	फर्म का नाम	विवरण	मात्रा	बिल की राशि
1.	**196**, दिनांक 18.09.21	17.05.2022	मै. शर्मा बिल्डिंग मटिरियल	Bricks	400 nos	20000
2.	**184**, दिनांक 18.09.21	17.05.2022	मै. शर्मा बिल्डिंग मटिरियल	Cut Stone	809 nos	20225
3.	**14262**, दिनांक 14.12.21	17.05.2022	मै. हि. प्र. सिविल सप्लाई	सीमेंट बैग	48 बैग	16450
4.	**2518**, दिनांक 31.07.21	19.05.2022	मै. मदन फ्रूट नरसरी	Plants	--	26500
5.	वाउचर 32दिनांक 12.07.23	---	M/S PankajDhiman manufacturing PVC &Aluminium	Aluminium door Aluminium Window	2 Nos each	50000
6.	वाउचर 32दिनांक 12.07.23	---	मै. गृहएश्वरी प्रिंटिंग प्रेस	स्टेशनरी	---	2930
			कुल योग			**136105/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 325(3) दिनांक 09.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तिय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GP GORDA NO. 11 दिनांक 09.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा ।

अतः स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख तैयार न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 101 (2) (iii) की अनुपालना सहित वांछित अभिलेख तैयार करने उपरान्त सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13. क्रय की गई सामग्री हेतु आपूर्तिकर्ताओं को नियम प्रावधानों के विपरीत नगद में भुगतान करने बारे :-

ANNUAL REPORT

हि०प्र० पंचायतीराज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियमक 10(2) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा सामग्री के क्रय के लिए आपूर्तिकर्ता को किए जाने वाले **संदाय/भुगतान केवल क्रास-चैक द्वारा ही किए जाएँगे।**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित अदायगियां नियम प्रावधानों के विरुद्ध नगद की गई थीं जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	**वाउचर संख्या/दिनांक**	**रोकड़ बही पृष्ठ संख्या**	**क्रय की गई सामग्री**	**भुगतान की गई राशि**
1.	52/06.03.2023	51	Stationery	2780
2.	53/06.03.2023	52	जल पान पर व्यय	2000
		कुल योग		**4780/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 325(4) दिनांक 09.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GP GORDA NO. 11 दिनांक 09.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा ।

अत: वर्णित नियम प्रावधानों के विपरीत नगद भुगतान करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में की जाने वाली अदायगियां उपरोक्त नियम के अनुसार क्रास-चैक द्वारा ही की जाएँ तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए|

14. विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु क्रय सामग्री के समुचित लेखांकन के अभाव में राशि ₹0.06 लाख का अपेक्षाकृत क्रय सामग्री के समुचित लेखांकन के अभाव में अधिक / अनियमित भुगतान करने बारे -

ANNUAL REPORT

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों के अंकेक्षण पर पाया गया कि माप पुस्तिकाओं में निर्माण सामग्री (रेत, बजरी, सीमेंट) का निष्पादन निर्धारित मापदंड़ो के अनुसार कम किया गया दर्शाया गया था जबकि इन कार्यों के लिए निर्माण सामग्री (रेत, बजरी,सीमेंट) का क्रय अधिक किया गया था और बची हुई सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में भी वापिस नहीं लिया गया था जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	माप पुस्तिका संख्या / पेज संख्या	सामग्री का नाम	क्रय की गई सामग्री की मात्रा	निर्माण कार्य पर उपयोग हुई सामग्री की मात्रा	अंतर	दर (₹)	राशि (₹)
1.	निर्माण रास्ता तारा चंद के घर से देश राज की गौशालातक	28825 पृष्ट संख्या 71-73	रेत	100 cft	95 cft	5 cft	48	240
			बजरी	215 cft	190 cft	25cft	44	1100
	कुल योग (A)							**1340/-**
2.	निर्माण जीपेवल रोड व सुरक्षा दीवार विनय की	28825 पृष्ट संख्या48-52	बोल्डर	720 cft	657 cft	63 cft	25	1575

	जमीन से सुनील की जमीन तक							
	कुल योग (B)							**1575/-**
3.	निर्माण कुहल व सम्पर्क मार्ग वड वृक्षसे भवानी माता मंदिर तक	28825 पृष्ट संख्या42-53	शटरिंग	875 Sqft	744 Sqft	131 Sqft	20	2620
	कुल योग (C)							2620/-
	कुल योग (A+B+C)							**5535/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 325(5) दिनांक 09.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तिय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GP GORDA NO. 11 दिनांक 09.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा ।

अत: उक्त कार्यों हेतु क्रय निर्माण सामग्री की अपेक्षा कम सामान के प्रयोग/लेखांकन के फलस्वरूप अधिक भुगतान/अनियमित व्यय को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित व्यय जैसे ढुलाई आदि सहित उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15. बिल / वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार "पंचायत के सचिव प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित करेगा" ।

अंकेक्षण हेतु चयनित माह 02/23 व 11/23 के दौरान व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि माह 02/23 व 11/23 के दौरान व्यय की गई राशि से सम्बन्धित बिल/ वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं थे, जो कि उपरोक्त नियमों के विपरीत है |

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 325(2) दिनांक 09.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GP GORDA NO. 11 दिनांक 09.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

16 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य है|

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, लेखांकन प्रक्रिया में अपूर्णता के चलते क्रॉस मोनिटरिंग के अभाव में किसी भी स्तर पर धन, एवं सामग्री के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है :-

क्र. स.	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्मसंख्या	सन्दर्भितनियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(14)
3	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण न करना	25 व 26	72(1) (ए,बी)

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 325(6) दिनांक 09.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GP GORDA NO.11 दिनांक 09.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

17. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिसके अभाव में पंचायत सम्पत्ति की वर्तमान एवं दिनांक विशेष को वास्तविक स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता एवं उसके दुरूपयोग की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है, जिस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 227(12) दिनांक 09.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GP GORDA NO. 11 दिनांक 09.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिए गये आश्वासन के द्दष्टिगत उपरोक्त नियम की औपचारिक्ताओं को पूरा किया जाए तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

18. **लघु-आपति विवरणिका :-** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई हैं।

19. **निष्कर्ष:-** लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवयश्कता है।

28 SEP 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

4678–4682 का0/प्रि0

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)427/2024–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत गोरडा, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

28 SEP 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का0/प्रि0

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-22 OF GRAM PANCHAYT GORDA BLOCK RAIT DISTRICT INDORA PINCODE 176206

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2022-23	183066	107340.00	290406	48025.00	242381.00

183066.00

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2022 IN CASH BOOK

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-24 OF GRAM PANCHAYT GORDA BLOCK RAIT DISTRICT KANGRA PINCODE 176206

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2023-24	242381.00	21730.00	264111	92263.00	171848

242381.00

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2023 IN CASH BOOK

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Gorda
Dev Block Rait,kangra (H.P.)

J.A

प्रधान ग्राम पंचायत गोरडा
विकास खण्ड रैत (हि.प्र.)

हस्ताक्षर Sunita B
दिनांक

24

FINANCIAL POSITION OF GRANT-IN-AID OF GP GORDA BLOCK RAIT FOR THE YEAR 2022-23

S.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
1	14TH FC	183314.32	19166.00	202480.32	202455.00	25.32
2	MGNREGA	0	2202262.00	2202262.00	2202262.00	0.00
3	CSC	3234	95.00	3329.00	0.00	3329.00
4	5TH FC	32369	334530.00	366899.00	365096	1803.00
5	NRHM	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6	MPLAD	0	0.00	0.00	0.00	0.00
7	RGSA	0	0.00	0.00	0.00	0.00
8	SDP/SDRF/ VMJS/PS	177234	2116837.00	2294071.00	1679079	614992.00
9	SK RELIEF	0	0.00	0.00	0.00	0.00
10	VMJS	0	240039.00	240039.00	0.00	240039.00
11	TSC	105	1.00	106.00	106.00	0.00
12	NRHM	0	0.00	0.00	0.00	0.00
13	SBM	0	0.00	0.00	0.00	0.00
14	SDP	0	0.00	0.00	0.00	0.00
15	MMGPY	0	0.00	0.00	0.00	0.00
16	15TH FC	1303754.00	1466813.00	2770567.00	1006689.00	1763878.00
	TOTAL	**1700010.32**	**6379743.00**	**8079753.32**	**5455687.00**	**2624066.32**

FINANCIAL POSITION OF GRANT IN AID OF GP GORDA BLOCK RAIT FOR THE YEAR 2023-24

S.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
1	14TH FC	25.32	0.00	25.32	0.00	25.32
2	MGNREGA	0.00	1555600.00	1555600.00	1555600.00	0.00
3	CSC	3329.00	47.00	3376.00	3376.00	0.00
4	5TH FC	1803.00	498603	500406.00	533816	-33410.00
5	NRHM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	MPLAD	0.00	0	0.00	0	0.00
7	RGSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	SDP/SDRF/ VMJS/PS	614992.00	3873559	4488551.00	3870571	617980.00
9	SK RELIEF	0.00	80000.00	80000.00	0.00	80000.00
10	VMJS	240039.00	0.00	240039.00	68742.00	171297.00
11	TSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	NRHM	0.00	690000.00	690000.00	168508.00	521492.00
13	SBM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	SDP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	MMGPY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	15TH FC	1763878.00	475279.00	2239157.00	1423780.00	815377.00
	TOTAL	**2624066.32**	**7173088.00**	**9797154.32**	**7624393.00**	**2172761.32**

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF GRANT IN AID AS ON 01-04-2023 IN CASH BOOK 2624066.32

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Gorda
Dev Block Rait, Kangra (H.P.)

प्रधान ग्राम पंचायत गोरडा विकास खण्ड रैत (हि.प्र.)

हस्ताक्षर Sunita
दिनांक

BANK DETAIL OF GP GORDA BLOCK RAIT DISTRICT KANGRA

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 01-04-22

S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMOUNT
1	General/5TH FC	KCCB SHAPHUR	20088008599	214483
2	SDP/SDRF/VMJS/PS	KCCB SHAPHUR	50055551984	177234
3	14TH FC	KCCB SHAPHUR	50055551768	183314.32
4	TSC	KCCB SHAPHUR	50055551906	105
5	15TH FC	CANARA BANK SHAHPUR	6616101001120	1303754
6	CSC	CANARA BANK SHAHPUR	6616101001049	3234
		CASH IN HAND		952
		TOTAL		1883076.32

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 31-03-23

S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMOUNT
1	General/5TH FC	KCCB SHAPHUR	20088008599	243765.00
2	SDP/SDRF/VMJS/PS	KCCB SHAPHUR	50055551984	614992.00
3	14TH FC	KCCB SHAPHUR	50055551768	0.00
4	TSC	KCCB SHAPHUR	50055551906	0.00
5	15TH FC	CANARA BANK SHAHPUR	6616101001120	1763878.00
6	CSC	CANARA BANK SHAHPUR	6616101001049	3329.00
		CASH IN HAND		999.00
		TOTAL		2626963.00

BANK DETAIL OF GP GORDA BLOCK RAIT DISTRICT KANGRA

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 31-03-24

S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMOUNT
1	General/5TH FC	KCCB SHAPHUR	20088008599	138019.00
2	SDP/SDRF/VMJS/PS	KCCB SHAPHUR	50055551984	617980.00
3	14TH FC	KCCB SHAPHUR	50055551768	25.32
			50055551906	0.00
4	TSC	KCCB SHAPHUR	6616101001120	815377.00
5	15TH FC	CANARA BANK SHAHPUR	6616101001049	0.00
6	CSC	CANARA BANK SHAHPUR	50076838259	80000.00
7	SK RELIEF	KCCB SHAPHUR	50076838124	171297.00
8	VMJS	KCCB SHAPHUR	50076838226	521492.00
9	VKVNY	KCCB SHAPHUR		419.00
		CASH IN HAND		
		TOTAL		2344609.32

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Gorda
Dev Block Rait, kangra (H.P.)

प्रधान ग्राम पंचायत गौरडा विकास खण्ड रैत (हि.प्र.)

हस्ताक्षर Sunita B

दिनांक

D.A

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-23 OF GRAM PANCHAYT GORDA BLOCK RAIT DISTRICT KANGRA

YEAR	NUMBER OF HOUSEHOLD	RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2022-23	618	100	0	61800	61800	52200	9600

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-24 OF GRAM PANCHAYT GORDA BLOCK RAIT DISTRICT KANGRA

YEAR	NUMBER OF HOUSEHOLD	RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2023-24	618	100	9600	61800	71400	0	71400

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Gorda
Dev Block Rait, kangra (H.P.)

J.A

प्रधान ग्राम पंचायत गोरडा
विकास खण्ड रैत (हि.प्र.)
हस्ताक्षर Sunita B
दिनांक

97